

# कार्यालय विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली

पत्रांक: एस0एस0ए0/वै0शि0/3435-40

/2008-09

दिनांक- 9-1-09

सचिव,

जन कल्याण परिषद, उ0प्र0 समसाबाद फर्रुखाबाद,  
80105 साइड नं0-1 किदचई नगर, कानपुर

विषय:- वर्ष 2008-09 में स्वीच्छिक संगठनों द्वारा **आवासीय ब्रिजकोर्स** केन्द्र संचालित किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

जनपद रायबरेली में आप द्वारा **आवासीय ब्रिज कोर्स** केन्द्र के संचालन करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, रायबरेली द्वारा आवासीय केन्द्र के संचालन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। एक केन्द्र को संचालित करने हेतु संस्था के पक्ष में धनराशि रु0 497400.00 की स्वीकृति प्रदान की जाती है। संस्था हेतु स्वीकृत धनराशि निम्नलिखित निर्देशों के अनुपालन की दशा में ही अनुम्य होगी।

1. संस्था को विभाग द्वारा निर्गत गाईड लाइन्स की परिशिष्ट 8 एवं 9 के अनुसार अनुबन्ध पत्र शीघ्र प्रस्तुत करना होगा।
2. सम्स्त **आवासीय ब्रिजकोर्स** केन्द्र वरीयता के आधार पर नगर क्षेत्र मुख्यालय में संचालित किये जाने होंगे। विशेष परिस्थितियों में विकास क्षेत्र मुख्यालय में संचालित किया जा सकता है। संचालन हेतु व्ययनित भवन के भवन स्वामी से 08 माह की अवधि हेतु सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाये।
3. **आवासीय ब्रिजकोर्स** केन्द्र संचालन हेतु व्ययनित अनुदेशक/अनुदेशिकाओं की सूची उपलब्ध करायी जाये जिससे अनुदेशकों की सूची प्रशिक्षण हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रायबरेली को भेजा जा सके एवं प्रशिक्षण के उपरान्त केन्द्र संचालन की कार्यवाही पूर्ण की जा सके।
4. इस पत्र के साथ ही संबंधित विकास क्षेत्रों के स्कूल न जाने वाले एवं ड्राप आउट बच्चों की सूची भी प्रेषित की जा रही है। इन केन्द्रों में 11-14 वयवर्ग के ड्राप आउट्स अथवा कमी स्कूल न जाने वाले बच्चों को नामांकित किया जाय। इन लागूकृत किये जाने वाले बच्चों का व्ययन वरीयता के आधार पर इसी सूची से किया जाये।
5. व्ययनित किये गये बच्चों के अभिभावकों की सहमति प्राप्त कर ली जाये तथा बच्चों एवं अभिभावकों की काउंसिलिंग कर उनकी शैक्षिक सामग्री का स्तर प्री टेस्ट लेकर पाठ्य पुस्तकों की मांग प्रस्तुत की जाये जिससे पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
6. संचालित किये जाने वाले केन्द्रों में पंजीकृत बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा की मुख्यधारण से जोड़ने/स्कूल में प्रवेश कराने, विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने, बच्चों की स्वरथ एवं सुरक्षा से संबंधित उत्तरदायित्व निर्वहन करने की सहमति संस्था द्वारा दी जाये।

(2)

7. राज्य परियोजना कार्यालय विद्या भवन निशातगंज, लखनऊ के पत्रांक: सा0 एवं वै0शि0/ 29285-587/2008-09 दिनांक 25.08.08 एवं पत्रांक: रा0प0नि0 एवं वै0शि0/7434-7739/ 2008-09 दिनांक 04.08.08 को संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि इसके निर्देशों एवं मंशा का शत प्रतिशत पालन किया जाय।
8. संस्था को अनुदेशकों के प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त ही धनराशि की प्रथम किस्त अवमुक्त कराई जायेगी। संस्था को 40:40:20 के अनुपात में 3 किस्तों में निर्गत किया जायेगा तथा द्वितीय किस्त तभी अवमुक्त की जायेगी जब प्रथम किस्त का उपभोग प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेख प्राप्त कर लिये जायेंगे तथा तृतीय किस्त तभी अवमुक्त की जायेगी जब संस्था द्वारा पूर्व में आवंटित की गई धनराशि का री0ए0 आडिट तथा उपभोग प्रमाण पत्र एवं अभिलेखीकरण की आख्या उपलब्ध करा दी जायेगी।
9. **आवाराय ट्रिजकोर्स** केंद्र पर औपचारिक शिक्षा के अर्न्तगत पंजीकृत बच्चों का नामांकन कदापि न किया जाये। ऐसी स्थिति पाये जाने पर संस्था हेतु रकीकृत धनराशि में से निर्धारित मामूली बच्चों के अनुसार कटौती कर ली जायेगी।
10. उपरोक्त शर्तों/अनुबन्धों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये अन्यथा की स्थिति में संस्था पूर्ण उत्तरदायी होगी।

विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
रायबरेली

पत्रांक: एस0एस0ए0/वै0शि0/3435-40 /2008-09

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद निशातगंज लखनऊ।
2. निदेशक साक्षरता एवं वै0शि0 उ0प्र0 203/9 नवीउल्लाह रोड, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी रायबरेली।
4. प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रायबरेली।
5. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विकास क्षेत्र जनपद रायबरेली।

विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
रायबरेली